

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-आव्हान निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या  
88/2024

दायर दिनांक  
13.03.2024

निर्णय दिनांक  
16.04.2024

उनवान

1. रजत पुत्र श्री ज्ञानमल पानगडिया उम्र वयस्क निवासी जी-902, नवकार ग्रीन्स, कांचीपुरम, भीलवाडा।
2. शोभा पत्नी श्री ज्ञानमल पानगडिया उम्र वयस्क निवासी जी-902, नवकार ग्रीन्स, कांचीपुरम, भीलवाडा।
3. सुमनबाला पुत्री श्री उमराव सिंह भण्डारी पत्नी कमलेशचन्द्र मेहता उम्र वयस्क निवासी- अभयसिंह जी की बाडी, उदयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. नेमीचन्द पुत्र श्री शोभालाल सिंघवी उम्र वयस्क निवासी- पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
2. रतनलाल पुत्र श्री बालुलाल सेठिया उम्र वयस्क निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
3. करीमन पत्नी जमाल खां मुसलमान उम्र वयस्क निवासी- पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
4. गनी मोहम्मद पुत्र श्री जमाल खां मुसलमान उम्र वयस्क निवासी- पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
5. जुल्फकार पुत्र श्री जमाल खां मुसलमान उम्र वयस्क निवासी- पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
6. मुबारिक पुत्र श्री जमाल खां मुसलमान उम्र वयस्क निवासी- पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।


-विपक्षीगण

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी गोपाल अजमेरा  
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 06 उपस्थित नहीं

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-

-: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पुर प0ह0 पुर प्रथम भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा की

  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा


जमाबन्दी संवत 2069-2073 के खाता संख्या 3002 की अभिलिखित आराजियात 510 कुल किता 01 कुल रकबा 0.1012 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काशत की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 06 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काशतकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा पुर प0ह0 पुर प्रथम भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069-2073 के खाता संख्या 3002 की अभिलिखित आराजियात 510 कुल किता 01 कुल रकबा 0.1012 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(आव्हान निवृत्ति सोमनाथ)

**उपकार अधिवक्ता**

**भीलवाडा**